झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी विभागों में प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु विज्ञापन।

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद के सुपर स्पेशियलिटी विभागों में विभागवार प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर **Walk-In-Interview** के माध्यम से संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

विभागवार एवं कोटिवार प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक पद के रिक्ति की विवरणी निम्नांकित है जो अधिक/कम हो सकते है।

क्र0सं0	विभाग का नाम	प्राध्यापक				सह–प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक				
		कुल रिक्ति	**UR**	**ST**	**SC**	कुल रिक्ति	**UR**	**ST**	**SC**	कुल रिक्ति	**UR**	**ST**	**SC**	**BC I**
1	कार्डियोलॉजी	1	1	0	0	2	1	1	0	2	1	1	0	0
2	नेफ्रोलॉजी	1	1	0	0	1	1	0	0	2	1	1	0	0
3	न्यूरोलॉजी	1	1	0	0	1	1	0	0	2	1	1	0	0
4	गेस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी (मेडिकल)	1	1	0	0	1	1	0	0	2	1	1	0	0
5	गेस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी (सर्जिकल)	1	1	0	0	2	1	1	0	4	2	1	0	1
6	न्युरो सर्जरी	1	1	0	0	2	1	1	0	4	2	1	0	1
7	यूरोलॉजी	1	1	0	0	2	1	1	0	2	1	1	0	0
8	कॉडियो वैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी	1	1	0	0	2	1	1	0	2	1	1	0	0
9	प्लास्टिक एण्ड रिकस्ट्रक्शन सर्जरी एवं बर्न यूनिट	1	1	0	0	2	1	1	0	2	1	1	0	0
Total		**9**	**9**	**0**	**0**	**15**	**9**	**6**	**0**	**22**	**11**	**9**	**0**	**2**

2. **अर्हता** :– प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु एम0सी0आई/एन0एम0सी0 के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं वांछित अनुभव लागू होगा।

3. **चयन का आधार** :– **Walk-In-Interview** के माध्यम से संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु गठित चयन समिति द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत तत्संबंधी अभिलेखों की जाँच की

जायेगी। तदनुसार विभागवार रिक्ति के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम की अनु ंसा की जायेगी।

4. **नियुक्ति की भार्त्ते :–**

a) सुपर स्पेि ायलिटी विभागों में प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने के लिए एम0सी0आई/एन0एम0सी0 के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं वांछित अनुभव संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

b) चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर पदधारकों को समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा दिये गये पराम ार्श के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।

c) चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पद पर संविदा आधारित सेवाएँ अधिकतम 02 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति, जो पहले हो, तक अथवा 70 वर्ष की आयु तक होगी।

d) 02 वर्श की संविदा अवधि की समाप्ति के उपरांत उनके Performance का मूल्यांकन संतोशजनक पाये जाने पर आगामी वर्शो हेतु एक बार में एक वर्श के लिए सेवा विस्तार वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।

e) संविदा आधारित यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी एवं संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भविश्य में नियमित नियुक्ति एवं अन्य सुविधाओं का दावा नहीं किया जायेगा।

f) अवका ा :– संविदा आधारित चिकित्सा ि ाक्षकों को कैलेण्डर वर्श के लिए राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवका ा देय होगा, परन्तु अन्य किसी अवका ा के हकदार नहीं होंगे।

g) चिकित्सा महाविद्यालय में संविदा पर नियुक्त प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक का स्थानांतरण किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में नहीं किया जायेगा।

h) सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के उतने ही पद इस व्यवस्था से भरें जायेंगे जितना नितान्त आव यक होगा। इन पदों पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु आरक्षण प्रति ात का अनुपालन किया जायेगा।

i) वित्त विभाग से प्राप्त पराम ार्श के आधार पर मंत्रिपरिशद् द्वारा लिए गए निर्ण के अनुसार संविदा रा ि ा निर्धारण के संबंध में विभागीय संकल्प–407 (9) दिनांक 02.09.2021 एवं विभागीय अधिसूचना 357 (9) दिनांक 30.07.2024 के आलोक में वर्तमान में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त पद धारक को मानदेय– प्राध्यापक **2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रूपये)** , सह–प्राध्यापक **2,00,000/– (दो लाख रूपये)** एवं सहायक प्राध्यापक **1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये)** देय होगा जिसपर वित्त विभाग से प्राप्त पराम ार्श के आधार पर अग्रतर निर्णय लिया जायेगा।

5. **अधिकतम उम्र सीमा :–** संविदा आधारित चिकित्सा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा सभी वर्गो के लिए 70 वर्श होगी।

6. रिक्त पदों पर वाक–इन–इन्टरव्यू रिम्स, राँची के प्रशासनिक भवन में निम्नांकित तिथियों में सम्पन्न होगा :–

क्र0सं0	विभाग का नाम	पदनाम	दिनांक	समय
01	कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गेस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी (मेडिकल), गेस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी (सर्जिकल), न्युरो सर्जरी, यूरोलॉजी, कॉडियो वैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी एवं प्लास्टिक एण्ड रिकस्ट्रक ान सर्जरी एवं बर्न यूनिट	प्राध्यापक	06/12/2024	पूर्वाह्न 10:00 बजे से
02		सह–प्राध्यापक		
03		सहायक प्राध्यापक		

7. सभी इच्छुक उम्मीदवार वेबसाईट :– **www.jharkhand.gov.in/health** के अन्तर्गत **Recruitment** पर दिये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी वांछित सूचनाएँ पूर्णरूपेण भर कर, सभी मूल प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ **वाक–इन–इन्टरव्यू** आयोजन की तिथि पर ससमय भाग लेंगे।

8. इस विज्ञापन को स्थगित करने, किसी आवेदन को बिना कोई कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं रिक्ति के अवशेश रहने की अवस्था में पुनः विज्ञापन प्रकाि ात करने का सर्वाधिकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सुरक्षित रहेगा।

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा,
झारखंड, राँची